

कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,रॉची ।

(जन सूचना कोषांग)

पूर्व निर्गत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-5 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में रॉची समाहरणालय(मुख्यालय) के लिये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके कार्यालय से संबंधित सूचनाओं के लिये जन सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार उपायुक्त,रॉची के स्थान पर अपर समाहर्ता(रा0),रॉची को नामित किया जाता है। सभी प्रथम अपीलीय मामले तत्काल प्रभाव से अपर समाहर्ता,रॉची-सह-प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के अधीन होंगे।

क्र०	कार्यालय का नाम	जन सूचना पदाधिकारी का पदनाम	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का पदनाम
1	विधि व्यवस्था कार्यालय,रॉची ।	अपर जिला दण्डाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी विधि व्यवस्था,रॉची ।	अपर समाहर्ता (राजस्व),रॉची ।
2	आपूर्ति कार्यालय,रॉची	विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी / प्रभारी पदा०,रॉची	तदैव
3	जिला भू-हदबंदी कार्यालय,रॉची ।	अपर समाहर्ता,भू-हदबंदी,रॉची / प्रभारी पदाधिकारी उप समाहर्ता(राजस्व)रॉची ।	तदैव
4	अपर समाहर्ता कार्यालय,रॉची	उप समाहर्ता(राजस्व),रॉची ।	तदैव
5	जिला राजस्व शाखा,रॉची	उप समाहर्ता(राजस्व),रॉची ।	
6	विधि शाखा,रॉची ।	उप समाहर्ता / प्रभारी पदा० (विधि शाखा),रॉची ।	तदैव
7	जिला निर्वाचन शाखा, रॉची ।	उप निर्वाचन पदाधिकारी / प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी,रॉची ।	तदैव
8	जिला सामान्य शाखा, रॉची ।	उप समाहर्ता / प्रभारी पदा० (जिला सामान्य शाखा),रॉची ।	तदैव
9	जिला अभिलेखागार शाखा, रॉची ।	उप समाहर्ता / प्रभारी पदा० (जिला अभिलेखागार),रॉची ।	तदैव
10	जिला निलाम पत्र शाखा, रॉची ।	जिला निलाम -पत्र पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी (निलाम -शाखा),रॉची ।	
11	जिला नजारत शाखा, रॉची ।	जिला नजारत उप समाहर्ता / प्रभारी पदाधिकारी,नजारत शाखा,रॉची ।	
12	जिला गोपनीय शाखा, रॉची ।	उप समाहर्ता / प्रभारी पदा०, (जिला गोपनीय शाखा),रॉची ।	तदैव
13	जिला स्थापना शाखा / पत्र-प्राप्ति प्रेषण शाखा, रॉची ।	जिला स्थापना उप समाहर्ता, / प्रभारी पदाधिकारी,रॉची ।	तदैव
14	जिला सामाजिक सुरक्षा शाखा, रॉची ।	उप निदेशक,सामाजिक सुरक्षा / प्रभारी पदा०,रॉची ।	तदैव
15	जिला समाज कल्याण शाखा, रॉची ।	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी / प्रभारी पदा०,रॉची ।	तदैव
16	जिला लेखा कार्यालय,रॉची ।	जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदा०,रॉची ।	तदैव

17	जिला भविष्य-निधि कार्यालय,रॉंची ।	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी,रॉंची /प्रभारी पदा0,रॉंची ।	तदैव
18	कोषागार कार्यालय, डोरण्डा /रॉंची /प्रोजेक्ट भवन धुर्वा,रॉंची ।	कोषागार पदाधिकारी, रॉंची /डोरण्डा /प्रोजेक्ट भवन धुर्वा,रॉंची ।	तदैव
19	जिला भू-अर्जन कार्यालय,रॉंची ।	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,रॉंची /प्रभारी पदाधिकारी,रॉंची ।	तदैव
20	कार्यालय विशेष विनियमन,रॉंची ।	विशेष विनियमन पदाधिकारी /प्रभारी पदा0,रॉंची ।	तदैव
21	अवर निबंधक कार्यालय,रॉंची /हिनु/ काँके ।	अवर निबंधक पदाधिकारी /प्रभारी पदा0,रॉंची /हिनु/ काँके ।	तदैव

2. पूर्व निर्गत आदेश इस हद तक यथा-संशोधित समझा जाय ।
3. जिला भू-हदबंदी कार्यालय,रॉंची के प्रभार में अपर समाहर्ता(राजस्व),रॉंची है इस कारण उक्त कार्यालय के भी जन सूचना पदाधिकारी,उप समाहर्ता(राजस्व),रॉंची नामित किये जाते। जिला भू-हदबंदी पदाधिकारी,रॉंची के पदस्थापना के बाद जन सूचना पदाधिकारी वें स्वयं होंगे ।
4. वैसे विभाग/कार्यालय जिसका नाम उक्त सूची में नहीं है। वैसे विभाग/कार्यालय के प्रभारी पदाधिकारी ही जन सूचना पदाधिकारी के रूप में नामित होंगे। सभी जन सूचना पदाधिकारी अपने स्तर से सहायक जन सूचना पदाधिकारी नामित करते हुये आम जनता की सुविधा हेतु पट्ट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे ।
5. अपर समाहर्ता,रॉंची दिनांक-02.04.2016 को समाहरणालय भवन, बी -ब्लॉक,कमरा संख्या-505 में मुख्य सूचना आयुक्त,रॉंची के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में सभी अपीलीय मामले का अर्ध्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्धारित अवधि में निष्पादन सुनिश्चित करें।

उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
जन सूचना कोषांग, रॉंची।
6/4/16

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रॉंची।
6/4/16

पांक :- 225(1) दिनांक :- 6.4.2016

तेलिपि :- उपरोक्तानुसार, सभी जन सूचना पदाधिकारी, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

तेलिपि :- सचिव, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपीलीय मामलों में सीधे संबंधित जन सूचना पदाधिकारी को नोटिस निर्गत करने की कृपा की जाय।

उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी,
जन सूचना कोषांग, रॉंची।
6/4/16

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रॉंची।
6/4/16